रजि. न. MPHIN / 2007 / 22179

बरली की दुनिया

बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान इन्दौर की मासिक समाचार पत्रिका

"मानव जाति एक पक्षी के समान है, जिसके दो पंख हैं, एक पुरुष दूसरा स्त्री। जब तक दोनों पंख मजबूत न होंगे, एक सांझी शक्ति के द्वारा हिलाए न जाएंगे, तब तक पक्षी की आकाश में उड़ान असम्भव है।"

वर्ष–4 अंक 38 अप्रैल 2010 मूल्यः 5रू.

न्याय

न्याय का मतलब

न्याय आत्मा की आवाज है। यह सच को सच और झूठ को झूठ, सही को सही और गलत को गलत बता देती है। सभी के साथ बराबरी का व्यवहार करना न्याय है। जब अच्छे काम के लिए पुरस्कार और गलत काम के लिए दण्ड दिया जाता है तो इसे न्याय कहते है। न्याय करना महान काम है। अन्याय और अपराध को रोकने के लिए दोनो आवश्यक है। पुरस्कार से सही काम को बढ़ावा मिलता है और दण्ड के भय से गलत काम करने पर रोक लगती है। समाज, परिवार, किसी भी देश में न्याय से ही शांति मिल सकती है।

एकता और न्याय साथ–साथ चलते हैं। न्याय पाने के लिए एकता से रहना जरूरी है। लेकिन आज भी हमारे देश में सबसे बड़ा अन्याय यह हो रहा है कि शहरों और गाँवों से जाति, धर्म, महिला, पुरुष के आधार पर बहुत भेदभाव होते हैं। कई लोग अपने आप को बड़ी जाति और दूसरों को नीची जाति के मानते हैं। उनसे छुआछूत करते हैं। उन्हें कुएँ पर पानी नहीं भरने देते, मंदिरों के अंदर नहीं जाने देते व अपने घरों में नहीं आने देते, उन्हें अलग बर्तनों में खाना देते है। अपने घरों के सामने से निकलते समय वह उन्हें चप्पल हाथ में लेकर चलने को कहते हैं। शादी ब्याह पर भी उन्हें अलग से बिठाते हैं और अलग से खाना खिलाते हैं। उनकी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं और कई बार तो उनकी जमीन जबरदस्ती अपने नाम करवा लेते हैं। उन्हें उनकी जाति का नाम लेकर अपमानित करते हैं, गाली देते हैं। छुआछूत और भेदभाव इतना है कि मध्यप्रदेश के दमोह जिले में एक दलित दूल्हे पर इसलिए हमला किया गया क्योंकि वह घोड़े पर चढ़ा हुआ था। बुंदेलखण्ड और चंबल में तो ऐसा होता ही रहता है। मुरैना के 'माता बसैया' गाँव में दलित लोगों की शादी में बैण्ड बजाने से रोका गया। श्योपुर जिले में एक दलित को जूते पहनने पर पीटा गया। सागर के बमौरी गाँव और मंदसौर के चाऔली गाँव में भी ऐसा अन्याय हो चुका है। ऐसे समाचार आते रहते हैं कि दोषी को सजा और पीड़ित को न्याय नहीं मिल रहा है।

न्याय पाने के लिए न्यायालयों में कई साल लग जाते हैं और ढ़ेर सारे पैसे अलग खर्च होते हैं। इसलिए इस विषय को जानना बहुत जरूरी है। बरली की दुनिया इस अंक में न्याय क्या है? न्याय का महत्व क्या है? न्याय की जरूरत क्यों है? न्याय कैसे मिलेगा आदि प्रश्नों के उत्तर लेकर आ रही है? पाठकों से आशा है कि इस विषय को पढ़ने, जानने और समझने के बाद वह पीड़ित को न्याय व दोषी को दण्ड दिलवाने में आगे आएंगे।

युगावतार बहाउल्लाह के अनुसार, "मेरी दृष्टि में सर्वाधिक प्रिय वस्तु है न्याय! तुझे यदि मेरी अभिलाषा है तो उससे विमुख न हो और उसकी अवहेलना न कर, ताकि तू मेरा विश्वासपात्र बन सके। इसकी सहायता से तू दूसरों की आँखों से नहीं बल्कि स्वयं अपनी आँखों से देखने लगेगा, अपने पड़ोसी के ज्ञान से नहीं बल्कि स्वयं अपने ज्ञान से जानने लगेगा। अपने अन्तःकरण में इस पर मनन कर कि तुझे कैसा होना योग्य है। वस्तुतः न्याय तेरे लिये मुझ महान का एक उपहार और मेरी सप्रेम दयालुता का प्रतीक है। अतः इसे अपने नेत्रों के सम्मुख धारण कर।"

उन्होंने कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय न्याय है। जिसे उन्हें पाने की इच्छा है उसे न्याय से दूर नही होना चाहिए और न ही न्याय के रास्ते से हटना चाहिए। न्याय से ही उनके विश्वासपात्र बन सकते है। न्याय की सहायता से लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। अपने पड़ोसी के ज्ञान से नहीं, अपने खुद के ज्ञान से जानने लगते हैं। आत्मा की आवाज सुनकर निर्णय लेना चाहिए कि जीवन में कैसा बनना है?किस रास्ते पर चलना है?न्याय ईश्वर की ओर से दिया गया महान उपहार है और यह ईश्वर के प्रेम और उसकी दया की निशानी है। इसलिए हमेशा न्याय को सबसे आगे रखना चाहिए। न्याय पाने के लिए दूसरों के साथ न्याय करना भी सीखना होगा। न्याय का पालन धर्म समझ कर करना होगा। व्यवहार में न्याय दिखना चाहिए। बहाई लेखों के अनुसार, "अपने प्रति तथा दूसरों के प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार करो, ताकि तुम्हारे कर्मों के द्वारा हमारे सेवकों के बीच न्याय के प्रमाण सुस्पष्ट हो सकें। चेतो, कहीं अपने पड़ोसी की सम्पत्ति के ऊपर तुम बुरी दृष्टि न रखने लगो। अपने को उनके विश्वास के योग्य प्रमाणित करो।" मतलब यह कि अपने और दूसरों सभी के साथ न्याय करना चाहिए। अपने से न्याय करने का मतलब सच बोलना, ईमानदार होना और सही रास्ते पर चलना है। व्यवहार और कर्म ऐसे होने चाहिए कि साफ दिखना चाहिए कि न्याय हो रहा है। सभी को सावधान रहना होगा कि अपने पड़ोसी के धन, दौलत या साधनों, सामानों की तरफ अपनी नजर नहीं डालें यानि यह सब देखकर लालच नहीं करना चाहिए ताकि पड़ोसी का विश्वास बना रहे।

न्याय का महत्व

इंसान को ईश्वर ने सबसे बढ़िया बनने की क्षमता दी है। बढ़िया का मतलब है न्याय से रहना, भेदभाव न करना, एकता, प्रेम और सच्चाई से जीना। न्याय एक ऐसा सद्‌गुण है जिसे अपनाकर सभी सद्‌गुण अपने आप आ जाते हैं। जिस समाज में न्याय होता है, वहाँ सबको एक जैसे अधिकार व अवसर मिलते हैं। अवसर मिलने से सभी का विकास होता है। हर काम का सम्मान होता है और जब समाज में अन्याय होता है तब वहाँ खुशी नहीं होती है। अन्याय के कारण पूरी दुनिया की एकता खतरे में है।

बहाई लेखों के अनुसार "मनुष्य का प्रकाश न्याय है। जुल्म और तानाशाही की विरोधी हवा से इसे मत बुझाओ। न्याय का उद्देश्य मनुष्य के मध्य एकता का प्रकटीकरण है।" इसका मतलब है कि जहाँ न्याय होता है तो वहाँ ईश्वर का प्रकाश रहता है। अपराध, जुल्म और तानाशाही की हवा उस प्रकाश को बुझा देती है। बहुत बार दिखाई पड़ता है कुछ लोग बहुत अमीर और कुछ बहुत गरीब होते हैं। इस दूरी को खत्म करना न्याय है। समाज के हर इंसान को एक दूसरे के साथ एक शरीर के सभी अंगों के समान रहना चाहिए। यदि एक इंसान परेशान व दुखी है तो दूसरों को उसे सहारा देना चाहिए। आज की दुनिया में आपसी मेलजोल और प्रेम की बहुत कमी है। इंसान क्या धन्धा करता है? क्या काम करता है?इससे वह छोटा बड़ा नहीं होता। वह अपने काम धन्धे को कैसे करता है? उसी से न्याय का पता चलता है। जैसे कोई नाली साफ करता है, कोई झाड़ू लगाता है, कोई खेती करता है, कोई डॉक्टर, कोई टीचर, और कोई आंगनवाड़ी चला रहे है। न्याय तभी है जब सभी अपने–अपने काम को ईमानदारी से करते हैं। इसमें काम छोटा–बड़ा नहीं होता।

सामाजिक न्याय

सामाजिक न्याय का मतलब है समाज में सभी के साथ बराबरी का व्यवहार करना और समान अधिकार मिलना। जाति भेदभाव, लिंग भेदभाव, अमीरी–गरीबी का भेदभाव न होना। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो समाज में न्याय नहीं हो रहा है क्योंकि लोग अपने कर्त्तव्य और अधिकारों के प्रति जागरूक और सजग नहीं हैं। समाज के नियम ऐसे होने चाहिए जिससे हर इंसान का भला हो और सभी ख़ुश रह सकें। जैसे गाँव में किसी की ज़मीन का पट्टा करवाना या ज़मीन का बंटवारा करवाना है तो ऐसे मौके पर कई बार पटेल, सरपंच दारू और मुर्गी मांगते हैं और फिर काम करते हैं। इसी तरह कई गाँवो में स्कूल या अस्पताल बनाने या पंचायत बनाने के लिये सरकार करोड़ों रूपये भेजती है और आधे पैसे तो सरकारी लोग और सरपंच, पटेल ही खा जाते हैं इससे भी गाँव के अधिकतर बच्चे पढ़ नहीं पाते। गाँव में स्कूलों या आंगनवाड़ी में बच्चों के लिये दलिया, अनाज आता है। ऐसा भी होता है कि गाँव के सरपंच, पटेल, स्कूल के शिक्षक या आंगनवाड़ी वाली बहनजी सभी मिलकर अनाज ले लेते हैं और सरकार को बताते हैं कि वह सड़ा गला था। बच्चों को पूरा खाने को नहीं देते हैं। इसके लिये गाँव के लोग कभी–कभी सरपंच के पास जाकर बात करते भी हैं तो वह इस मामले को लेकर कुछ नहीं करता है। समाज में दहेज के नाम पर महिलाओं और उनके परिवारों के साथ तथा बाल विवाह करवा कर बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। समाज में न्याय तभी

होगा जब छोटे–बड़े का कोई भेदभाव नहीं होगा, हिंसा नहीं होगा तथा आर्थिक और सामाजिक रूप से सभी समान होंगे। बहुत सी सामाजिक संस्थाएँ जैसे जाति पंचायत, खाप पंचायत के कारण समाज में अन्याय बहुत बढ़ गया है। जाति पंचायत जाति के आधार पर बनाई जाती है और सिर्फ उसी जाति के लोग उसमें होते हैं और उनकी ही समस्याओं का निपटारा होता है। खाप पंचायत हरियाणा और राजस्थान के गाँवों में होते है। हाल ही में इन्होने दस जोड़ों को जान से मार देने का निर्णय लिया क्योंकि उन्होंने अपने ही गोत्र में शादी की थी।

ग्राम पंचायत सिर्फ सड़कों, स्कूलों को बनवाने तथा लोगों के झगड़े निपटाने का हीं काम करते हैं। वे कभी भी महिलाओं, बच्चों या बड़े बूढ़ों के हित की बात नहीं सोचते हैं। गाँवों में पंचायत को परमेश्वर मानते हैं और उनके निर्णय को ईश्वर का आदेश समझते हैं। लेकिन देखा जाए तो वे भी समाज के साथ न्याय नहीं कर रहें हैं क्योंकि पंच में ही ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो स्वयं ही पढ़े लिखे नहीं होते हैं। जिन गाँवों में महिला सरपंच हैं उनकी पंचायत तो सिर्फ पति की ही होती हैं। वे स्वयं कोई निर्णय नहीं ले पाती हैं और कहतीं हैं कि मै क्या करूँ, आदमी लोग ही सही निर्णय ले सकते हैं। पंच से संबंधित सारे काम उनके पति ही करते हैं।

आर्थिक न्याय

आर्थिक न्याय का मतलब है समाज में कोई बहुत अधिक अमीर और कोई बहुत अधिक गरीब न हो तथा काम के बदले सही वेतन मिले। ऐसा देखा गया है कि अमीर और अमीर होते जा रहें हैं तथा गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। अमीर लोग अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने में दिन–रात लगे होते हैं और गरीबों की ऐसी हालत हो रही है कि वे एक समय का खाना भी मुश्किल से जुटा पाते हैं। इससे सामाजिक असमानता बढ़ती है। पैसे वाले लोग गरीबों पर हावी हैं। बंधुआ मजदूरी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। जब कर्जा लेने वाले की मृत्यु हो जाती है तो उनके बच्चों या परिवार के लोगों से काम करवाया जाता है। दिए गए कर्ज के बदले में किसी इंसान का शारीरिक, मानसिक व आर्थिक शोषण करना अपराध और अन्याय है। मालिक मजदूरों का शोषण करते हैं। मजदूरी करने जाते हैं, काम 8 घंटे का रहता है पर जबरदस्ती उससे ज्यादा काम करवाते हैं और पैसे कम देते हैं। उस समय मजदूर डर के कारण काम करते हैं। काम की जगहों पर महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन नहीं दिया जाता है। छोटे बच्चों से होटलों, दुकानों और कारखानों में मजदूरी करवाई जाती हैं। सरकार ने कानून बनाया है कि 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों से काम करवाना अपराध है। बच्चों को पढ़ने का मौका भी नहीं मिल पाता। बचपन तो खेलने, खाने और पढ़ने–लिखने और सीखने के लिए होता है।

पारिवारिक न्याय

पारिवारिक न्याय का मतलब है परिवार के सभी सदस्यों को बराबरी का अधिकार और ध्यान देना। लेकिन ऐसा भी हो रहा है कि बचपन से ही परिवार में लड़के और लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है। लड़कों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं जबकि लड़कियों को ग्वाल भेजते हैं, उनसे घर, खेत का काम करवाते हैं, खाना बनाने, छोटे बच्चों की देखभाल के

लिए छोड़ देते हैं। लड़को को हर तरीके से अच्छा रखा जाता हैं और उनकी हर जिद पूरी की जाती हैं कि वे बड़े होकर अपने माँ–बाप और परिवार का सहारा बनेगा। घर के किसी भी मामले में महिलाओं की राय नहीं पूछी जाती है। उन्हें परिवार के महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि उनको इस लायक ही नहीं समझा जाता कि वे भी सोच और समझ सकती है। गाँवों में महिलाओं के नाम पर कोई जमीन जायदाद नहीं होती है। विधवा या पति द्वारा छोड़ी हुई महिलाओं के साथ परिवार और समाज के लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। अनाथ बच्चों की सही तरीके से देखभाल नहीं हो पाती है। आज परिवार माँ–बाप और बच्चों तक हीं सीमित रह गया है। घर के बड़े बूढ़ों की भी स्थिति अच्छी नहीं है। अपनी जरूरतों के सामने अपने माता–पिता की और बड़ों की जरूरतें उनके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। उनके पास न तो माता–पिता के लिए समय होता है और न पैसा।

शिक्षा के क्षेत्र में न्याय

शिक्षा सभी के लिए जरूरी है। जागरूकता केवल शिक्षा से ही आ सकती है। इससे आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनते हैं। शिक्षित होकर वे अपने अधिकारों को जान सकते हैं और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर न्याय माँग सकते हैं।

सरपंच, पटेल या कोई अधिकारी कर्मचारी उन्हें ठग नहीं सकता और न ही रिश्वत ले सकता है। पढ़–लिखकर यदि इन सब बातों को जानते हैं तो पूरे गाँव को न्याय दिला सकते हैं। गाँव में जमीन के कागजों पर बेईमानी से अंगूठे का निशान लगवाकर बैंक से दूसरे का पैसा निकाल लेते हैं या ज़मीन ले लेते हैं। जो पढ़ना जानते हैं वो अपने ज़मीन ज़ायदाद को हाथ से निकल जाने से बचा लेते हैं। इसलिये सभी का पढ़े लिखे होना जरूरी है। यदि पढ़े–लिखे होंगें तो किसी भी प्रकार का अन्याय हो रहा हो तो उसे रोक सकते हैं और दूसरों को भी

न्याय दिला सकते हैं। लड़कियों को शिक्षित करना ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वे आगे चलकर माँ बनती हैं। माँ बच्चों की पहली शिक्षिका होती हैं। अगर माँ शिक्षित नहीं होगी तो वह बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पाएगी और अपने परिवार को सही तरीके से नहीं चला पाएगी।

पर्यावरण के क्षेत्र में न्याय

स्वस्थ जीवन के लिए स्वस्थ पर्यावरण होना जरूरी है लेकिन इंसान अपने फायदे के लिए पर्यावरण के साथ भी न्याय नहीं कर रहा है। इंसान इतना लालची हो गया है कि उसने पर्यावरण को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया है। पेड़ पौधे, हवा, पानी, जंगल, जमीन, पशु–पक्षी जो हमें जीवन देते हैं उन्हें अपने फायदे के लिए नुकसान पहुँचा रहें हैं। जहरीले खाद और कीटनाशक दवाईंयों का उपयोग कर जमीन को नुकसान पहुँचा रहें हैं। इससे मिट्टी की ताकत कम हो जाती है। कचरे और प्लास्टिक की पन्नियों को इधर–उधर फेंक कर अपने पर्यावरण को गंदा कर रहें हैं।

नदी, तालाबों का उपयोग कपड़े धोने, नहाने, शौच और गाय, भैंसों को नहलाने के लिए करते हैं, जिससे पानी गंदा होता है और बीमारियाँ फैलती हैं। बिना सोचे समझे पेड़–पौधे काट रहें हैं जिसके कारण पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो रहा है और बरसात कम हो रही है। पैसे कमाने या अपना शौक पूरा करने के लिए कई लोग पशु पक्षियों का शिकार करते हैं। इसके कारण कई पशु–पक्षी धरती से खत्म होते जा रहें हैं जो कि अन्याय है। जैसे कीटनाशकों के प्रयोग से कई गिद्ध मर चुके हैं जो कि मरे हुए जानवरों को खाकर हमारे पर्यावरण को साफ रखते थे। पर्यावरण हमें जीवन देता है इसलिए पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। खेतों में रासायनिक खाद की जगह प्राकृतिक खाद का उपयोग करना चाहिए। आस–पास सफाई रखनी चाहिए और पेड़ लगाने चाहिए। साथ ही पशु–पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए। सौर ऊर्जा, बायोगैस आदि का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए।

कानूनी न्याय

सभी को न्याय मिले और सभी के अधिकारों की रक्षा हो, इसके लिए सरकार द्वारा कानूनी न्याय व्यवस्था की गई है। सर्वोच्च न्यायालय देश का उच्चतम एवं अंतिम न्यायालय है। देश के सभी न्यायालय उसके अधीन होते हैं। हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है। इसके अलावा जिला न्यायालय होते हैं जहाँ जाकर हम न्याय की माँग कर सकते हैं जैसे:

◆छुआछूत के आधार पर अनुसूचित जाति व जनजाति के कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य सरकार ने विशेष थाने और न्यायालय बनाए हैं। यदि अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के साथ अत्याचार होता है तो आपके क्षेत्र के ऐसे थाने में पुलिस को रिर्पोट की जानी चाहिए। विशेष न्यायालय यानि अधिकतर जिला सैशन कोर्ट होती है। सरकार इन मुकदमों को लड़ने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता देती है। सरकार मुकदमें का तथा पीड़ित इंसान के आने–जाने का खर्चा भी देती है। पीड़ित इंसान को आर्थिक मुआवजा मिलता है। मुआवजे की रकम पीड़ित इंसान की हुई हानि पर निर्भर करती है। यह मुआवजा न्यायालयों द्वारा भी दिया जाता है।

◆छुआछूत के आधार पर किसी भी तरह की रोकटोक लगाने वाले को सजा दी जाती है। सभी लोगों को समाज में बराबरी से रहने का अधिकार है। सार्वजनिक स्थानों कुएं, तालाबों, पूजा की जगहों पर जाने का अधिकार सभी को है। यदि कोई इन्हें रोकता है, तो वह कानूनी अपराध है। ऐसा करने वालों को एक साल की कैद और 500 रूपए तक का जुर्माना हो सकता है।

◆बाल मजदूरी करवाने वाले की शिकायत कोई भी अपने क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के न्यायालय में कर सकता है। ऐसा करने वाले को तीन महीने से एक साल तक की सजा हो सकती है या दस से बीस हजार तक का जुर्माना हो सकता है। दोबारा जुर्म करने पर सजा बढ़कर छह महीने से दो साल की भी हो सकती है।

◆बंधुआ मजदूर अपनी शिकायत ग्राम पंचायत में या पास के थाने में कर सकता है। इसके अलावा सीधे कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट से भी शिकायत की जा सकती है। बंधुआ मजदूरों का शोषण करने या उन पर अत्याचार करने वाले इंसान को 3 साल की कैद तथा 2000 रूपए तक जुर्माना हो सकता है।

◆कानून के अनुसार महिलाओं और पुरूषों को बराबर वेतन पाने का अधिकार है। एक ही काम के लिए महिला को पुरूष के बराबर पैसे मिलने चाहिए, कम नहीं। मजदूरी सरकार द्वारा तय दर से कम नहीं होनी चाहिए। मजदूरी कितना मिलना चाहिए इसकी जानकारी आपके क्षेत्र के श्रम दफ्तर से मिल सकती है। अगर काम के बदले सही वेतन नहीं दिया जा रहा हो तो श्रम अधिकारी या गाँव के सरपंच से शिकायत करना चाहिए। इससे दोषी को छः माह की सजा या 5 से 10 हजार रूपए का जुर्माना हो सकता है। यह कानून पत्थर तोड़ने वाले, सड़क बनाने वाले, बीड़ी बनाने वाले, भवन निर्माण का काम करने वाले, खेतों या बागानों में काम करने वालों पर लागू होता है।

◆महिलाओं को गर्भावस्था व प्रसूति से संबंधित कुछ खास अधिकार दिए गए हैं। किसी महिला से प्रसूति के छह हफ्ते पहले और प्रसूति के छह हफ्ते बाद तक काम लेना कानूनी अपराध है। यदि मालिक प्रसूति कल्याण सुविधाएँ देने से मना करता है तो उसके खिलाफ श्रम अधिकारी से शिकायत करनी चाहिए। ये सुविधाएँ न देने के लिए मालिक को सजा और जुर्माना हो सकता है।

◆विधवा महिला को पति की सम्पति, अपनी माता–पिता या बच्चों की सम्पति से खर्चा मिलने का अधिकार है। यदि इन लोगों से खर्चा नहीं मिले तो उसके ससुर को उसका खर्चा देना होगा। अगर खर्चा नहीं मिले तो दीवानी (सिविल) न्यायालय या फौजदारी न्यायालय मे अर्जी देनी चाहिए। अर्जी देने पर न्यायालय आदेश देगी कि उस महिला को हर महीने खर्चे के लिए कुछ पैसे दिए जाए।

◆बूढ़े या शारीरिक रूप से कमजोर माता–पिता को अपने बच्चों से खर्चा मिलने का अधिकार है। यह खर्चा लेने का अधिकार सिर्फ ऐसे लोगों को है, जो अपनी कमाई या सम्पति में से अपना खर्चा नहीं चला सकते हैं। ये भी अपना खर्चा पाने के लिए दीवानी या फौजदारी अदालत में अर्जी दे सकते हैं।

◆बाल विवाह करने या करवाने वालों की शिकायत मजिस्ट्रेट के पास दर्ज करवाना चाहिए। दोषी को तीन महीने तक की कैद या 1000 रूपए तक का जुर्माना हो सकता है।

बरली संस्थान ने अपनी पत्रिका कोकिला के अक्टूबर 1999 के अंक 82 में सामाजिक न्याय से संबंधित महिलाओं के अधिकार और कानून, न्यूनतम वेतन, ठेका मजदूरी, चोट लगने और दुर्घटना संबंधी कानून तथा नवम्बर 1999 के अंक 83 में बलात्कार, जायदाद के अधिकार और बंधुआ मजदूरी और दिसंबर 1999 के अंक 83 में दहेज व पुलिस कार्यवाही कानून की जानकारी दी गई थी। बरली की दुनिया के मार्च 2007 के अंक 1 में महिला हिंसा रोकने के कानून की जानकारी दी गई थी।

सभी कानून अपनी जगह है लेकिन महिलाएं भी परिवार, समाज व देश में न्याय ला सकती हैं। जैसे बरली संस्थान की आदिवासी महिलाओं ने संकल्प लिया है कि वे दहेज या दापा नहीं लेंगी क्योंकि आदिवासी प्रथा के अनुसार लड़के के परिवार को लड़की वालों को दापा देना पड़ता है और जो नहीं दे सकते उनको उनके यहाँ बंधुआ मजदूर बनकर रहना पड़ता है। उन्होंने संकल्प लिया कि वे मिलकर मार–पीट कम करेंगी, नशाबंदी खत्म करेंगी। वे अपनी कमाई से जमीन खरीद रही हैं। गाँवों में जब सभी महिलाएँ अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जागरूक हो जाएगी और फिर सभी लोग इसी तरह जागरूक हो जाएंगे तो परिवार, समाज व देश में न्याय होने लगेगा।

संस्थान के समाचार

जिला स्तरीय सर्तकता एवं निगरानी समिति की बैठक में निदेशिका

इंदौर जिले की ग्रामीण विकास की जिला स्तरीय सर्तकता एवं निगरानी समिति में बरली संस्थान की निदेशिका डॉ. (श्रीमती) जनक मगिलिगन को भारत सरकार ने स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधी के रूप में सदस्य नियुक्त किया। इस समिति की बैठक 3 अप्रैल 2010 को हुई जिसमें पीने के पानी, स्वजल धारा योजना और समग्र स्वच्छता अभियान की समीक्षा की गई।

अवाड के कार्यक्रम में निदेशिका

एसोसिएशन ऑफ वालेन्ट्री ऐजेन्सीज फॉर प्लानिंग एण्ड डेवलपमेन्ट (अवाड) इंदौर द्वारा 10 अप्रैल को प्रेस क्लब में 'मध्यप्रदेश का विकास और स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका तथा चुनौतियों पर चर्चा' में संस्थान की निदेशिका ने भाग लिया। मुख्य वक्ताओं ने बरली संस्थान के कार्यक्रम की सराहना की।

स्त्री रोग विशेषज्ञों का समूह संस्थान में

संस्थान में 10 अपैल 2010 को इंदौर से स्त्री रोग विशेषज्ञों का एक समूह आया। इनमें शहर की कई जानी मानी डॉक्टर डॉ. कुमुद भागवत, डॉ. कविता बापट, डॉ. नीरजा पौराणिक, डॉ. सीमा विजयवर्गीय और डॉ. लक्ष्मी मारू थीं। उन्होंने सभी प्रशिक्षणार्थियों को स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण बातें बताई कि महिलाओं को अपने खान–पान और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि महिलाओं पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। अगर महिला स्वस्थ होगी तो पूरा परिवार स्वस्थ होगा। स्वस्थ भोजन के साथ साफ–सफाई का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने बताया कि जब शरीर में खून की कमी होती है तो उसे अनीमिया कहते हैं। इससे बहुत सारी बिमारियाँ होती हैं और शरीर कमजोर हो जाता है। गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं को भी अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देना चाहिए जिससे कि उनका बच्चा भी स्वस्थ रहे। गर्भवती महिलाओं के शरीर में खून की कमी होने से शरीर में सूजन आ जाती है जिससे माँ और बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है। बच्चे कमजोर या मरे हुए पैदा हो सकते हैं।

डॉ. (श्रीमती) कुमुद भागवत

डॉ. (श्रीमती) नीरजा पौराणिक

उनका विकास ठीक से नहीं होता है। शरीर में खून की कमी नहीं हो इसके लिए हरी पत्तेदार सब्जियाँ, फल, दूध, दही के साथ आयरन और कैल्शियम की गोलियाँ खानी चाहिए।

सभी को अपने खून की जाँच 2 से 4 महीनों में करवाते रहना चाहिए। इसी दिन सभी प्रशिक्षणार्थियों को उनके ब्लड ग्रुप का कार्ड दिया गया जिसमें उन सभी के ब्लड ग्रुप लिखे थे जिसकी जाँच पहले संस्थान में ही डॉक्टरों द्वारा की गई थी।

राष्ट्रीय संगोष्ठी में भागीदारी

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ताओं के राष्ट्रीय संगठन ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर में 11 अप्रैल 2010 को एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में बरली संस्थान की निदेशिका ने भाग लिया। इसके बाद जिन्होंने संगोष्ठी में भाग लिया वे संस्थान देखने 12 अप्रैल 2010 को आए। वे सभी ग्रामीण महिलाओं के लिए चलाए जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम और विशेष रूप से सोलर कुकर के काम को देखकर काफी प्रभावित हुए। छात्रों ने अपने–अपने अनुभव बताते हुए कहा "पूरा प्रयोग एक बहुत बड़ी सफलता है। मुझे आशा है कि यह प्रयोग पूरे देश में फैलेगा।" "मैने सचमुच सोलर ऊर्जा कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखा है।" "यहाँ आकर सचमुच मेरी आँखें खुल गईं। मैने यहाँ पर वो वास्तविकता देखी जो किताबों में पढ़ा और टी.वी. में देखा।" "मैने पहली बार काम के प्रति सच्चा समर्पण महसूस किया।" "पूरा अनुभव बहुत अच्छा और अद्भुत था। संस्थान अपने आप में एक अलग दुनिया है।" "मैने इस दुनिया में एक नई जगह खोज ली है।"

सम्मान समारोह में निदेशिका

डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, महू में 14 अप्रैल 2010 को मध्यप्रदेश शासन के डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर स्मृति सम्मान पुरस्कार समारोह में बरली संस्थान की निदेशिका को भी आमंत्रित किया गया था। इस कार्यक्रम में लेखक, साहित्यकार और समाज सुधारक श्री मोहनदास नैमिशराय को डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर के आंदोलन को पत्रकारिता के माध्यम से जन–जन तक पहुँचाने तथा समाज सुधार में उनके योगदान के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर स्मृति सम्मान पुरस्कार वर्ष 2007–08 के लिए सम्मानित किया गया।

नेशनल ओपन स्कूलिंग की परीक्षा

नेशनल ओपन स्कूलिंग द्वारा आयोजत कटाई–सिलाई की लिखित परीक्षा 30 अप्रैल 2010 को हुई। इस परीक्षा में संस्थान

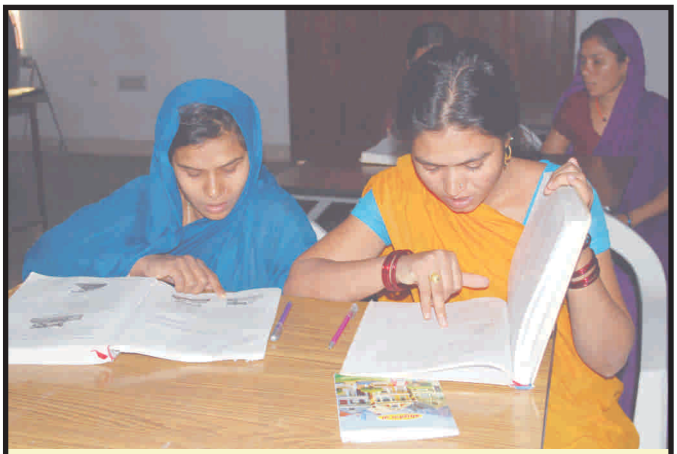

प्रशिक्षणार्थी कटाई–सिलाई की परीक्षा की तैयारी करते हुए

से 60 प्रशिक्षणार्थी इंदौर स्थित सनशाईन हाई स्कूल में गई थीं। संस्थान में ज्यादातर महिलाएँ ऐसी आती हैं जो निरक्षर होती हैं इसलिए उन्हें परीक्षा के पहले एक महीना हर रोज परीक्षा देने

प्रशिक्षणार्थी कटाई–सिलाई की परीक्षा देने जाते हुए

की तैयारी करवाई जाती है ताकि उनके अंदर का डर खत्म हो जाए। इस दौरान उन सभी से प्रश्नों के जबाब लिखने का तरीका, परीक्षा में लिखते समय ध्यान रखने वाली बातों का

नेशनल ओपन स्कूलिंग की कटाई–सिलाई की लिखित परीक्षा देते हुए

अभ्यास करवाया जाता है जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़े।

प्रेक्टिकल परीक्षा 1 मई को संस्थान में ली गईं जिसमें सभी ने ब्लाऊज और फ्राक सिलकर तैयार किया।

सहायता संस्था द्वारा सहयोग

इंदौर की सहायता संस्था द्वारा 25 अप्रैल 2010 को शहर में विकलांगों, अनाथ बच्चों, निराश्रितों एवं वृद्धजनों के लिए काम कर रही ग्यारह संस्थाओं को दवाईयां एक अलमारी में रखकर भेंट की गई। जिनमें से एक संस्थान को भी दी गई।

आदिवासी कानून व्यवस्था का अध्ययन

महाराष्ट्र के पुणे की न्याय विशेषज्ञ व आई. आई. एस. लॉ कालेज की प्रोफेसर डॉ. (श्रीमती) सीता भाटिया और प्रो. श्री

डॉ. जनक पलटा मगिलिगन, डॉ. सीता भाटिया और प्रो. श्री एस. वाघमरे

एस. वाघमरे संस्थान की निदेशिका डॉ. (श्रीमती) जनक पलटा मगिलिगन धार जिले में राजगढ़ और डही के आस–पास के गाँवों में जानकारी लेने के लिए गए कि आदवासी पारम्परिक नियम (कानून) व्यवस्था में महिलाओं के शादी, जमीन–जायदाद के क्या अधिकार है। उन्होंने 19 अप्रैल से 22 अप्रैल तक मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम के सहयोग से लगभग 40 तड़वी, पटेलों और गाँव के बुजुर्ग महिलाओं और पुरूषों से जानकारी ली। इस जानकारी को लेने का उद्देश्य आदिवासी कानूनों को लिखकर एक ऐसी पुस्तक तैयार करना है जिससे सभी महिलाएँ अपने अधिकारों को जान सके, समझ सकें और कोई उनके अधिकार छीनने की कोशिश करे तो वह न्याय ले सकें। यदि उनके

गाँव के पटेल और तड़वी चर्चा करते हुए

पारम्परिक कानून उनके मानव अधिकारों के विरोध में हैं तो वह इसकी भी माँग कर सकेंगी।

संस्थान देखने आए मेहमान

➩महाराष्ट्र के पुणे की न्याय विशेषज्ञ व आई. आई.एस. लॉ कॉलेज की प्रोफेसर डॉ. (श्रीमती) सीता भाटिया 31 मार्च को संस्थान में आई और वह 2 अप्रैल तक रही। संस्थान में प्रशिक्षण ले रही अलग–अलग जिलों की महिलाओं से गाँव में उनके अधिकारों की स्थिती के बारे में जाना। उन्होंने महिला हिंसा, कानून, अधिकार, दहेज प्रथा, बाल विवाह आदि विषयों की जानकारी दी। जाते समय उन्होंने कहा "इस संस्थान में महिलाओं के विकास के लिए जो शिक्षा दी जा रही वह बहुत ही प्रभावशाली है।"

➩देवी अहिल्या विश्व विद्यालय के 'स्कूल ऑफ एनर्जी एंड एंवायरमेंटल स्टडीज' से 20 छात्रों के समूह ने 6 अप्रैल को संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सभी गतिविधियों की जानकारी ली। इसके साथ उन्हें सोलर ऊर्जा से होने वाले उपयोग के बारे में भी जानकारी दी गई। उन्होंने कहा, " यह जगह बहुत अच्छी है और यहाँ सौर ऊर्जा का उपयोग काफी अच्छे तरीके से किया जा रहा है।"

➩जगतगुरू दत्तात्रय टेक्नोलॉजी कॉलेज के श्री प्रदीप यादव 7 अप्रैल को 38 छात्रों के साथ संस्थान आए। उन्होंने कहा "संस्थान बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। हर किसी को एक बार संस्थान जरूर आना चाहिए।

➩इंडस वर्ल्ड स्कूल से 40 शिक्षक और शिक्षिकाओं का समूह 29 अप्रैल 2010 को संस्थान देखने आया। सभी ने संस्थान में चल रही सभी गतिविधियों की जानकारी ली। उन सभी को प्रशिक्षणार्थियों ने अपने प्रशिक्षण और सीखने के अनुभव सुनाए। संस्थान के स्टाफ ने भी अपना परिचय दिया और अपने काम का अनुभव सुनाया। वे सभी यहाँ के काम से बहुत प्रभावित हुए और अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, "मानवीय संकल्प और साहस का सबसे अच्छा उदाहरण है।" आपके काम के प्रति मेरे हृदय में बहुत सम्मान और आदर है। ऐसा कुछ काम हम भी भविष्य में करना चाहेंगे।" "मेरे पास अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं हैं।" "इस संस्थान में 21 वीं सदी के भारत के प्रगतिशील विचारों तथा

संस्कारों के दर्शन है।"

➩चंडीगढ़ से पंजाब विश्वविद्यालय, मानव अधिकार अध्ययन विभाग के 15 छात्रों का समूह संस्थान में आए और

संस्थान के प्रबंधक श्री जिम्मी मगिलिगन जानकारी देते हुए

वह 31 मार्च से 3 अप्रैल तक रहें। इन्हें निदेशिका और प्रबंधक ने कम्प्यूटर से फोटो दिखाकर संस्थान की पूरी जानकारी दी। इसके बाद सभी ने संस्थान की गतिविधियों को देखा और प्रशिक्षण ले रही आदिवासी एवं ग्रामीण

महिलाओं को मानव अधिकारों के बारे में अलग–अलग समूह में जानकारी दी। उनमें से श्री बलजीत कौर ने अपने अनुभव में कहा "महिला सशक्तिकरण एवं उनके विकास के लिए किया जाने वाला काम बहुत अच्छा है।" सुश्री स्वाती यादव ने कहा "संस्थान के प्रशिक्षण से महिलाओं का बहुत अच्छा विकास हो रहा है।" सुश्री लुवाना श्रेष्ठ ने कहा "यहाँ पर जीवन में एक बहुत अच्छा अनुभव मिला। दूसरी बार फिर आना चाहूँगी।" श्री उपनीत मनगत ने कहा "संस्थान में रहना बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर अतिथि सत्कार बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है। संस्कार वास्ताविक सशक्तिकरण का असली उदाहरण है।"

➩दिल्ली पब्लिक स्कूल, इंदौर से शिक्षकों का एक समूह 10 अप्रैल 2010 को संस्थान में आए। उन्होंने कहा,"पर्यावरण बचाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल काफी सराहनीय है।" "यह सचमुच काफी रचनात्मक सामाजिक कार्य है।" "मानवता द्वारा मानवता के लिए किया जाने वाला वास्तविक सेवा है।" "यहाँ पर काफी प्रेरणादायी और असाधारण कार्य किए जा रहें हैं। वो सभी कुछ दिखाने के लिए धन्यवाद जो हम भूल चुके थे।" 16 अप्रैल को फिर से दिल्ली पब्लिक स्कूल से 11वीं कक्षा के छात्रों का समूह संस्थान आया। उन सब ने कहा, "संस्थान पर्यावरण मित्र है, काफी शांत जगह है। हम सभी समूह में आए और हमें काफी आनंद आया। हमने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है।"यहाँ की व्यवस्था बहुत उत्साहपूर्ण और नया जीवन देने वाला है।"

➩राष्ट्रीय जनसहयोग एवं बाल विकास संस्थान की उपाध्यक्ष श्रीमती मुनेष निरवाल ने कहा बरली संस्थान द्वारा किए जा

रहे प्रयास सराहनीय है। उनके साथ डॉ. पी. कृष्णमूर्ति और डॉ. के.सी. जॉर्ज भी थे।

प्रिंटेड मैटर–बुक पोस्ट

पता

____

____

____

____

इस पत्रिका के प्रकाषन में सहयोगी
सुश्री विजयश्री व श्री जिम्मी मगिलिगन

हमें पत्र लिखें

"बरली की दुनिया" के पाठकों से विनम्र निवेदन है कि आप हमें नीचे लिखे पते पर पत्र लिखें कि आपको नियमित "बरली की दुनिया" मिल रही है या नहीं।

संपादक "बरली की दुनिया"
बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान
180 भमोरी, न्यू देवास रोड, इंदौर 452010 (म.प्र.)

रजि. न. MPHIN / 2007 / 22179

बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान की ओर से बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान, 180 भमोरी, न्यू देवास रोड़, इन्दौर – 452010 द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित
मुद्रण स्थल : राजा ऑफसेट, 863/9,नेहरूनगर, इन्दौर द्वारा मुद्रित **संपादक : डॉ. (श्रीमती) जनक पलटा मगिलिगन**